

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Gurugram Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0043

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

20/12/2023 10:25 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Wednesday

Date from (दिनांक से):

20/12/2023

Date To (दिनांक तक):

20/12/2023

Time Period (समय अवधि): Pahar 4

Time From (समय से): 09:10

hrs

Time To (समय तक): 09:20

hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/12/2023 Time (समय): 09:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 20/12/2023 09:25 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 65 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): जिला रेवाड़ी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): निरीक्षक दिनेश सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): स्व0 श्री उदयराम

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 28/09/1978

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):



Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS ACB GGM, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS ACB GGM, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	धर्मवीर राघव		Father's Name: श्री मान सिंह राघव	1. 1625-बी, 1625-बी से 0 46 गुरुग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (₹ में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम। निवेदन है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 29.07.2020 रेवाडी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ़ कार्यालय के यादि क्रमांक 32/28/2020-4 चौ (1) दिनांक 23.07.2020 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला कार्यालय में दर्ज की जाकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पत्र क्रमांक 7770/1-3/SVB(H) दिनांक 29.07.2020 द्वारा पड़ताल हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम में प्राप्त हुई थी। जिसकी पड़ताल सहायक उप निरीक्षक राजीव कुमार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र, रेवाडी द्वारा की गई थी। जांच में शिकायतकर्ता श्री रामफल निवासी जीन्द ने प्रतिवादी धर्मवीर राघव सेवानिवृत्त अतिरिक्त जनरल मैनेजर HSIIDC पर

आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने बारे आरोप लगाये हैं। आरोप की पड़ताल के दौरान पाया गया कि धर्मवीर राघव हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम में सहायक मनेजर के पद पर अक्टूबर 1979 में गुरुग्राम में नियुक्त हुआ था और वर्ष 1980 से 1981 तक अम्बाला, 1982 से 1985 तक कालका, 1985 से 1994 तक गुरुग्राम, 1995 से 1997 तक जीन्द, 1997 से 1999 तक चण्डीगढ़, 2000 से 2004 तक गुरुग्राम व 2005 से 2017 तक बावल में तैनात रहा था और मार्च 2017 में HSIIDC बावल से AGM के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। प्राप्त किये गये रिकार्ड के अनुसार पाया गया कि प्रतिवादी धर्मवीर का एक लड़का दीपेश राघव उम्र 30 साल है जिसकी शादी वर्ष 2022 में की है। जिसने वर्ष 2014 में मानव रचना फरिदाबाद से बी-टेक की पढ़ाई पूरी की है। धर्मवीर राघव को नौकरी के दौरान एक प्लॉट न0 1625-बी सैक्टर 46 गुरुग्राम में 263 वर्ग गज वर्ष 2001 में हुड्डा से एम्प्लॉई कोटे का अलाट हुआ था जिसको धर्मवीर राघव ने वर्ष 2006 से बनाना शुरू किया था जो 2009 में बनकर तैयार हुआ था जिसके लिए धर्मवीर राघव अपने विभाग से 7,09,000 का लोन लिया था। उपरोक्त मकान को बनाने के लिए कुल 15 लाख रुपये की लागत आई थी जिसको बनाने के लिए धर्मवीर राघव ने एक लाख रुपये अपनी बहन बिमला से और अपने साले शीलरतन की पत्नी गायत्री से 45,000/-रुपये उधार लिये थे और वर्ष 2010 में एक फ्लैट सिडको अरावली अपार्टमेंट सैक्टर-1 IMT मानेसर जिला गुरुग्राम में धर्मवीर राघव के विभाग की सोसायटी का अलाट हुआ था जिसकी कीमत कुल 29,48,000 रुपये थी। जिसको खरीदने के लिए धर्मवीर राघव ने SBBJ DLF गुरुग्राम से 15,66,000 रुपये का लोन लिया था। जिसकी किस्त धर्मवीर राघव की पेमेन्ट से ही कटती थी। इसके अलावा धर्मवीर राघव के पास पुरानी दादा लाई कोई प्रोपर्टी नहीं है। धर्मवीर राघव ने वर्ष 1993 में मारुती 800 कार खरीदी थी जिसका धर्मवीर राघव ने अपने विभाग से लोन लिया था। जिसकी किस्त वर्ष 2004 तक 1250 रुपये प्रति माह कटती थी, और वर्ष 2005 में धर्मवीर राघव ने एक सैन्ट्रो कार न0 DL3CAG 0022 रुपये 3,73,000 में खरीदी थी। जिसका लोन धर्मवीर राघव ने सिटी बैंक से लिया था। जिसकी किस्त धर्मवीर राघव के PNB खाता स0 3862000100009355 से कटती थी। वर्ष 2011 में धर्मवीर राघव ने एक होन्डा सिटी कार न0 HR26BH0047, 8,66,000 रुपये में खरीदी थी। जिसका धर्मवीर राघव ने अपने विभाग से 6,50,000 रुपये का लोन कराया था और धर्मवीर राघव ने ICICI Prudential Life Insurance] Reliance Life Insurance Single/yearly Plan, LIC में भी 5 पालोसी न0 111475114, 330969234, 112780074, 161837466 व 334603395 कराई हुई हैं तथा धर्मवीर राघव ने मकान न0 1625 बी सै0 46 गुरुग्राम को सितम्बर 2009 से रेंट पर 26000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिनेश वर्मा को दे दिया था और सिडको फ्लैट ए-701 मानेसर को अक्टूबर 2011 से 20,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से स्टोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को किराये पर दिया था। इसके अलावा धर्मवीर राघव व उसके परिवार के पास गुरुग्राम, रेवाडी, बावल, मानेसर, जीन्द, रोहतक, पंचकुला, करनाल में कहीं भी कोई चल व अचल सम्पत्ती नहीं पाई गई है। प्राप्त शुद्ध रिकार्ड के अनुसार दिनांक 01.01.2001 से 31.12.2011 के दौरान प्रतिवादी धर्मवीर राघव द्वारा 56,33,776/-रुपये की सम्पत्ति अर्जित करनी पाई गई तथा प्रतिवादी धर्मवीर राघव द्वारा जांच अवधि के दौरान विभाग से वेतन व अन्य स्रोतों से कुल 62,95,930/-रुपये की आय प्राप्त की गई। जांच अवधि के दौरान प्रतिवादी धर्मवीर राघव द्वारा 28,02,876/-रुपये खर्च करने पाये गये। इस प्रकार प्रतिवादी धर्मवीर राघव द्वारा उक्त जांच अवधि के दौरान अपने जायज स्रोतों से प्राप्त आय से 21,40,722/-रुपये की अधिक चल/अचल सम्पत्ति अर्जित होना पाया गया। अतः प्रतिवादी धर्मवीर राघव के विरुद्ध जेर धारा 13 (1) (e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोग अंकित करने व अभियोग के अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों के नाम कोई चल/अचल सम्पत्ति पाई जाती है तो उसको भी खर्च में शामिल किये जाने का सुझाव दिया गया। जांच अधिकारी ने जांच की अन्तिम रिपोर्ट तैयार करके प्रतिवादी धर्मवीर राघव के विरुद्ध अभियोग दर्ज करने के लिये उचित माध्यम से महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0) पंचकुला भेजी गई थी। महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 18551/1-2/ACB (H) दिनांक 10.11.2023 के अनुसार प्रतिवादी के विरुद्ध धारा 13 (1) (e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोग अंकित करने बारे आदेश प्राप्त हुये हैं। प्रतिवादी के द्वारा अपनी आय से अधिक 21,40,722/-रुपये की अधिक चल/अचल सम्पत्ति अर्जित करके धारा 13 (1) (e) r/w 13 (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध किया है। धर्मवीर राघव द्वारा किया गया यह कृत्य Ex-facie criminal in nature है। अतः प्रतिवादी धर्मवीर राघव पुत्र श्री मानसिंह राघव निवासी म0न0 1625-बी सैक्टर 46 गुरुग्राम के विरुद्ध धारा 13 (1) (e) r/w 13 (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोग अंकित करने के लिये मन निरीक्षक द्वारा तहरीर का ड्राफ्ट तैयार करके उचित माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला कार्यालय

में भेजी गई थी। महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0) पंचकूला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 20505/I-2/ACB (H) Dated 08-12-2023 के अनुसार ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम में प्राप्त हुई है। जिसकी तहरीर मन निरीक्षक द्वारा तैयार करके अभियोग दर्ज कराने के लिये तहरीर HC उदयबीर सिंह न0 805/पलवल के हवाले की गई है। प्रतिवादी धर्मवीर राघव पुत्र श्री मानसिंह राघव निवासी म0न0 1625-बी सैक्टर 46 गुरुग्राम के विरुद्ध धारा 13 (1) (e) r/w 13 (2) पी0सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावे। Dinesh Singh INSP. निरीक्षक दिनेश सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम। Date - 20/12/2023 अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई। जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बदस्त HC उदयबीर सिंह न0 805/पलवल के भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की असल मिशाल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश निरीक्षक दिनेश कुमार के पास भेजी जा रही है। आरिन्दा HC उदयबीर सिंह न0 805/पलवल के हवाले की गई।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): DINESH Rank (पद): I (Inspector)
SINGH

No. (सं.): 1730/44M to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पद कर सुनाई गयी, गुरुग्राम सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Ravinder Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 330/44M

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)